न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या - **24/2026**
रामावती देवी
बनाम
बिहार सरकार

07-07-2026

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। इन्हें सुना। आवेदक पक्ष का कथन है कि सत्र वाद संख्या 620/2025 (आधारित दरौंदा थाना काण्ड संख्या 238/2022) वर्तमान में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्, सिवान के न्यायालय में लंबित है तथा विचारण वाद संख्या 2055/2025 (आधारित दरौंदा थाना काण्ड संख्या 239/2022) वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्टम्, सिवान के न्यायालय में लंबित है। दोनों एक दूसरे का पलटा वाद है। अतः दोनों वादों को किसी एक न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त दोनों न्यायालय से वांछित मूल अभिलेख प्राप्त है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि सत्र वाद संख्या 620/2025 (आधारित दरौंदा थाना काण्ड संख्या 238/2022) वर्तमान में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्, सिवान के न्यायालय में लंबित है तथा विचारण वाद संख्या 2055/2025 (आधारित दरौंदा थाना काण्ड संख्या 239/2022) वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्टम्, सिवान के न्यायालय में लंबित है। दोनों एक दूसरे का पलटा वाद है।

अतः न्यायहित में विचारण वाद संख्या 2055/2025 (आधारित दरौंदा थाना काण्ड संख्या 239/2022) को अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्टम्, सिवान के न्यायालय से वापस लेकर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्, सिवान के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित न्यायालयों में प्रेषित करें तथा प्रश्नगत् फौजदारी प्रकीर्ण वाद के अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार, सिवान में जमा करें।

लेखापित
sd/-
सत्र न्यायाधीश, सिवान।
07-07-2026

Date of Judgement/order	07-07-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	07-07-2026
Date of Uploading	08-07-2026
Uploaded by	Ajit kumar